

डाक में की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
वि. पृ. भु./04 भोपाल-2001.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवाजन
एम.पी. ~~103/भोपाल/2001~~



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 सितम्बर 2001—आश्विन 5, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2001

क्र. 5055-499-इक्कीस-अ-(प्रा.) — मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 26 सितम्बर 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा असाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २००१

मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, २००१.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.
२. परिभाषाएं.
३. वृक्षों को काटकर गिराने बाबत निर्बन्धन.
४. वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति.
५. अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.
६. वृक्ष को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसका व्ययन करने के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया.
७. वृक्षों का परिरक्षण.
८. धारा ६ के अधीन किए गए आदेश का क्रियान्वयन.
९. अपील.
१०. सम्पत्ति का अभिग्रहण.
११. धारा १० के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति.
१२. इमारत, रस्ता दी/जलाऊ लकड़ी, औजार आदि कब अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे.
१३. संगठनों द्वारा अपराध.
१४. अपराध के किए जाने को रोकने की शक्ति.
१५. अपराध रोकने करने की शक्ति.
१६. अधिनियम के उल्लंघन की रिपोर्ट कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जाएगी.
१७. धन के रोकथाम के आदेश का निष्पादन.
१८. शास्ति.
१९. इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों का लोक सेवक होना.
२०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
२१. वृक्षों के परिरक्षण के लिए राज्य सरकार की शक्ति.
२२. वृक्ष अधिकारी को कतिपय शक्तियां विनिहित करना.
२३. गिराई गई सामग्री का अभिवहन.
२४. नियम बनाने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २००१

मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, २००१.

[दिनांक 26 सितम्बर, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के वृक्षों के परिरक्षण तथा पुनः वृक्षारोपण के प्रयोजन के लिए वृक्षों को काटकर गिराने के विनियमन के लिए बेहतर उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, २००१ है.

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा.

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ख) "वृक्ष" से अभिप्रेत है कोई ऐसा काष्ठीय पौधा जिसकी शाखाएं तने या काय से निकलती हैं तथा जो तने या काय पर आलंबित हों और जिसके तने या काय का व्यास भूमि तल पर ३० सें. मी. से कम न हो तथा जिसकी ऊंचाई भूमि तल से २ मीटर से कम न हो;

(ग) "वृक्ष काट कर गिराना" से इसकी सजातीय अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है तने को जड़ों से पृथक् करना, वृक्ष को जड़ों से उखाड़ना तथा इसमें सम्मिलित है वृक्ष पर बुल्डोजर चलाना, वृक्ष काटना, घिराना करना, टूट कराना, उस पर विषैला पदार्थ लगाकर, उसे जला कर या किसी अन्य रीति में उसे क्षति पहुंचाना;

(घ) "वृक्ष अधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ङ) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी नगरपालिका निगम/नगरपालिका/कैंटोनमेंट बोर्ड या नगर पंचायत के भीतर के समस्त स्थान;

(च) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हैं और भारतीय वन अधिनियम, १९२७ में परिभाषित की गई हैं, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं की गई हैं, क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिए गए हैं.

३. कोई भी व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी रूढ़ि, प्रथा, संविदा या स्थानीय विधि के होते हुए भी, उस नगरीय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि में, चाहे वह उसके स्वामित्व में की हो या उससे भिन्न प्रकार की हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बिना अनुज्ञा के किसी वृक्ष को काटकर नहीं गिराएगा या वृक्ष को कटवाकर नहीं गिराएगा.

वृक्षों को काटकर गिराने बाधक निबन्धन.

वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति.

४. राज्य सरकार, प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक ऐसे वन अधिकारियों को जो राजपत्रित वन अधिकारी से निम्न श्रेणी के न हों, आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "वृक्ष अधिकारी" के रूप में नियुक्त कर सकेगी.

अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.

५. राज्य सरकार, वन विभाग या स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, समय-समय पर नियुक्त कर सकेगी जो वृक्ष अधिकारी के अधीनस्थ होंगे.

वृक्ष को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसका व्ययन करने के लिये अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया.

६. (१) किसी वृक्ष को काटकर गिराने या हटाने या उसका अन्यथा व्ययन की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित वृक्ष अधिकारी को, अनुज्ञा के लिए ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्निष्ठ करते हुए तथा ऐसे दस्तावेज के साथ, जो कि विहित किए जाएं, आवेदन करेगा.

(२) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, वृक्ष अधिकारी आवेदन की अभिस्वीकृति देगा तथा आदेश द्वारा उस वृक्ष का निरीक्षण करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या तो ऐसी अनुज्ञा पूर्णतः या भागतः दे सकेगा या लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगा :

परन्तु कोई भी अनुज्ञा उस क्षेत्र से किसी व्यक्ति को उसी वर्ष के दौरान दो अवसरों से अधिक नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह और कि कोई भी ऐंगी अनुज्ञा देने से उस दश में इन्कार नहीं किया जाएगा जबकि वह,—

(एक) वृक्ष मृत है, रोगग्रस्त है या हवा से उखड़ा हुआ है; या

(दो) वृक्ष जीवन और सम्पत्ति के लिए खतरा बन जाता है; या

(तीन) वृक्ष अग्नि से, बिजली से, वर्षा से या अन्य प्राकृतिक कारणों से सारतः नुकसान ग्रस्त या नष्ट हो गया है; या

(चार) यथायात के लिए बाधा बन जाता है या यदि ऊर्जा/दूरभाष की लाइनों आदि के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है.

(३) उपधारा (२) के अधीन दी गई अनुज्ञा इस शर्त के अधीन हो सकेगी कि आवेदक उसी स्थल पर या परिसर पर जैसा कि विहित किया जाए, उसी जाति या अन्य उपयुक्त जाति का कोई अन्य वृक्ष या वृक्षों को लगाएगा और जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां वह उस तारीख से जिसको कि वृक्ष काट कर गिराया गया हो, तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के भीतर जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसा योगदान करेगा जैसा कि विहित किया जाए.

(४) यदि वृक्ष अधिकारी उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विनिश्चय को संसूचना देने में असफल रहता है तो आवेदित अनुज्ञा के संबंध में यह माना जाएगा कि वह दे दी गई है.

वृक्षों का परिरक्षण.

७. आवेदक का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करे और यह सुनिश्चित करे कि वृक्ष भली-भांति उगें और उसका भली-भांति परिरक्षण किया जा रहा है.

धारा ६ के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन.

८. (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा ६ के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन वृक्ष लगाने के लिए बाध्यताधीन है, यथास्थिति, आदेश के निदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रारम्भिक कार्य (तैयारी) शुरू करेगा और ऐसे आदेश या निदेश के अनुसार आगामी या अनुगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, वृक्ष लगाएगा तथा उन वृक्षों को जो किसी भूमि या क्षेत्र में लगाए गए हैं, किसी नुकसान से पर्याप्त एवं प्रभावी संरक्षण व्यवस्था करेगा.

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत की दशा में, वृक्ष अधिकारी वृक्ष लगवा सकेगा और वृक्षारोपण की लागत को वसूली ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व को बकाया के तौर पर कर सकेगा.

१. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकारी होंगे.

(२) जब वृक्ष अधिकारी द्वारा धारा ६ या ७ के अधीन कोई विनिश्चय या कोई आदेश किया जाता है, तो वृक्ष अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति वृक्ष अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश या निदेश के पारित किए जाने से तीस दिन की कालावधि के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा.

(३) अपील प्राधिकारी, अपील प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का विनिश्चय, अपीलार्थी को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर देने के पश्चात् करेगा.

१०. जहां वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, तो वह यथास्थिति वृक्ष या उसके भाग को जो भूमि या तने से पृथक् किया गया है, गिराए जाने के लिए उपयोग में लाए गए औजार तथा उपकरण सहित अभिग्रहण कर सकेगा. जब वन अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया जाता है तो वह वृक्ष अधिकारी को मामला आगे कार्रवाई के लिए अग्रेषित करेगा.

संपत्ति का अभिग्रहण.

वृक्ष अधिकारी धारा १० के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा, यदि भूमि के स्वामी ने जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप में बंध पत्र, निष्पादित कर दिया हो जैसा कि प्रस्तुत करने के लिए विहित किया जाए.

धारा १० के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने का शक्ति.

१२. (१) समस्त इमारती लकड़ी या जलाऊ लकड़ी जो कि राज्य सरकार की संपत्ति नहीं है तथा जिसके कि संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, और ऐसे अपराध को करने में उपयोग में लाए गए समस्त पशु, औजार, नाव, यान, रस्से, चेन या कोई अन्य सामग्री धारा ९, ११ तथा १७ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे अपराध के लिए अपराधी को सिद्धदोष ठहराए जाने पर, अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे. ऐसा अधिहरण ऐसे अपराध के लिए विहित किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकेगा.

इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी, औजार आदि वस्तु अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे.

(२) वृक्ष से उत्पादित कोई इमारती लकड़ी, औजार तथा उपकरण आदि और उपधारा (१) के अधीन अधिहृत कोई नाव, पशु या अन्य प्रवहन का न्यायालय द्वारा ऐसी रीति में व्ययन किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए.

१३. (१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति संगठन है, वहां वह संगठन तथा उस अपराध के किए जाने के समय उस संगठन के कारबार के संचालन का भारसाधक और संगठन के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

संगठनों द्वारा अपराध.

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह प्रस्तुत करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती है.

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी संगठन द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध उस संगठन/यूनिट के प्रमुख, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी को सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां संगठन/यूनिट का प्रमुख, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा.

अपराध के किए जाने को रोकने की शक्ति.

१४. प्रत्येक वृक्ष अधिकारी या उसका अधीनस्थ या कोई वन, राजस्व या पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को किए जाने से रोकेगा तथा अपराध के किए जाने से रोकने के प्रयोजन के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा.

अपराध शमन करने की शक्ति.

१५ (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी को, जो संभागीय वन अधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो, किसी व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, उस अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का संदेह है, शमन के रूप में, ऐसी धनराशि, जो कि विहित की जाए, स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी.

(२) यथास्थिति, ऐसी राशियों या ऐसे मूल या दोनों का ऐसे अधिकारी को संदाय करने पर अभिगृहीत संपत्ति तथा अपराध, यदि अभिरक्षा में है, निर्मुक्त किया जाएगा तथा ऐसे अपराधी या संपत्ति के विरुद्ध और कार्यवाही नहीं की जाएगी.

अधिनियम के उल्लंघन की रिपोर्ट कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जाएगी.

१६. प्रत्येक वन अधिकारी, लोक सेवक या किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि धारा ३ के किसी उल्लंघन तथा ऐसा उल्लंघन करने की तैयारी की उसकी जानकारी की सत्यता वृक्ष अधिकारी को तुरन्त दे.

धन के संदाय के आदेश का निष्पादन.

१७. कोई राशि, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा संदाय किया जाना निर्देशित किया गया है तत्समय प्रवृत्त किया विधि के अधीन वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह उससे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूलीय होगा.

शास्ति.

१८. जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उल्लंघन में किसी वृक्ष को गिराएगा या गिरावाएगा वह दोषसिद्धि पर कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा. जुर्माना यदि विहित समय-सीमा के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूलीय होगा.

इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों का लोक सेवक होना.

१९. इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का संख्यांक ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक है.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

२०. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तत्परित किसी बात के लिए या किसी ऐसी बात के लिए जो की जाने से छोड़ दी गई हो, राज्य सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अधीन शक्ति का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

वृक्षों के परिरक्षण के लिए राज्य सरकार की शक्ति.

२१. (१) राज्य सरकार, जन सामान्य के हित में, अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि वृक्षों के किसी वर्ग को ऐसी कारावधि तक काटकर नहीं गिराया जाएगा जैसी कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है.

(२) ऐसे वृक्षों का प्रबंधन विहित रीति में विनियमित किया जाएगा.

वृक्ष अधिकारी को कतिपय शक्तियां विनिहित करना.

२२. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारियों तथा अन्य अधिकारी को समस्त या निम्नलिखित में से कोई शक्ति विनिहित कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) किसी भूमि पर प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण, सीमांकन करने तथा उसका मानचित्र (नक्शा) बनाने की शक्ति;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपराध की जांच करने तथा ऐसी जांच के अनुक्रम में साक्ष्य ग्रहण करने तथा अभिलिखित करने की शक्ति.

२३. भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ का संख्यांक १६) की धारा ४१ तथा ४२ के उपबंध इस अधिनियम के अधीन गिराए गए वृक्षों के अभिवहन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे. गिराई गई स्तम्भों का अभिवहन.

२४. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. नियम बनाने की शक्ति.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2001

क्र. 5056-इक्कीस-अ-(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 of 2001

THE MADHYA PRADESH VRIKSHON KA PARIRAKSHAN (NAGARIYA KSHETRA) ADHINIYAM, 2001

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Restriction on felling of trees.
4. Appointment of Tree Officer.
5. Appointment of other officers.
6. Procedure for obtaining permission to fell, cut, remove or dispose of a tree.
7. Preservation of trees.
8. Implementation of order made under Section-6.
9. Appeal.
10. Seizure of property.
11. Power to release property seized under Section-10.
12. Timber/fuel, tools etc. when liable to confiscation.
13. Offence by organizations.
14. Power to prevent commission of offence.
15. Power to compound offence.
16. Contravention of Act to be reported by certain persons.
17. Execution of order for payment of Money.
18. Penalty.
19. Persons under this Act to be Public Servants.
20. Protection of action taken in good faith.
21. Power of State Government for Preservation of Trees.
22. Investing Tree Officer with certain powers.
23. Transit of felled material.
24. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 2001

THE MADHYA PRADESH VRIKSHON KA PARIRAKSHAN (NAGARIYA KSHETRA) ADHINIYAM, 2001.

(Revised the assent of the Governor on the 26th September, 2001 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated the 27th September, 2001)

An Act to make better provision for regulation of felling of trees for the purpose of preservation and replanting of trees in urban areas of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-Second Year of the Republic of India as follows:—

Short title,
extent and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vrikshon Ka Parirakshan (Nagariya Kshetra) Adhiniyam, 2001.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force in all urban areas from the date of the publication in the official gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) **Appellate authority** : Means an authority appointed by the State Government as appellate authority under this Act.
- (b) **"Tree"** means any woody plant, whose branches spring from and are supported upon a trunk or body and whose trunk or body is not less than 30 centimetres in girth at ground level and is not less than 2 metres in height from the ground level.
- (c) **to fell a tree** : with its cognate expression means severing the trunk from the roots, up-rooting the tree and includes bulldozing, cutting, girdling, lopping, up-larding, applying poisonous substance, burning or damaging a tree in any other manner.
- (d) **Tree Officer** : means an officer appointed as such by the State Government for the purpose of this Act.
- (e) **Urban area** : means all places within a Municipal Corporation/Municipality/Commission Board or Nagar Panchayat.
- (f) Words and expressions used in this Act and defined in the Indian Forest Act, 1927 but not defined in this Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

Restriction on
felling of trees.

3. Notwithstanding any custom, usage, contract or local-law for the time being in force, no person shall without permission under the provision of this Act fell any tree or cause any tree to be felled in any place, whether of his ownership or otherwise, situated within the urban area.

Appointment of
Tree Officer

4. The State Government may appoint one or more forest officers of the rank not below that of a Gazetted Forest Officer, Commissioner Municipal Corporation or Chief Municipal Officer as "Tree Officer" for the purposes of this Act, for each Urban Area.

Appointment of
other officers.

5. The State Government may, from time to time, appoint such other officers and employees of Forest Department or Local Authority as may be considered necessary who shall be subordinate to the Tree Officer.

6. (1) Any person desiring to fell or remove or otherwise dispose of, by any means, a tree, shall make an application to the concerned Tree Officer for permission in such form and containing such particulars and accompanied by such documents as may be prescribed.

Procedure for obtaining permission to fell, cut, remove or dispose of a tree.

(2) On receipt of the application, the Tree Officer shall acknowledge the application and may by order after inspecting the tree and holding such enquiry, as he may deem necessary, either grant permission in whole or in part or refuse permission for reasons to be recorded in writing, within 30 days from the date of receipt of the application :

Provided that no permission shall be granted to any person from the same area on more than two occasions during the same year :

Provided further that no permission shall be refused if the tree—

- (i) is dead, diseased or wind fallen or
- (ii) constitutes a danger to life and property or
- (iii) is substantially damaged or destroyed by fire, lightning, rain or other natural causes or
- (iv) constitutes an obstruction to traffic or if necessary for maintenance of power/telephone lines etc.

(3) The permission granted under sub-section (2) may be subject to the condition that the applicant shall plant another tree or trees of the same or other suitable species on the same site or premises, and where this is not possible make such contribution as may be prescribed, within thirty days from the date the tree is felled or within such extended period as the Tree Officer may allow.

(4) If the tree officer fails to communicate the decision within the period specified under sub-section (2) the permission applied for shall be deemed to have been granted.

7. It shall be the duty of the applicant to comply with the order made under sub-section (3) of Section 6 and to ensure that the tree or trees grow well and are well preserved.

Preservation of trees.

8. (1) Every person who is under an obligation to plant trees under an order made under Section 6 shall start preparatory work within thirty days of the date of receipt of the order or directions, as the case may be and shall plant trees in accordance with such order or directions in the ensuing or following rainy season or within such extended time as the tree officer may allow and shall provide adequate and effective protection to the trees that are planted in the land or the area from any damage.

Implementation of order made under Section 6.

(2) In case of default by such person, the Tree Officer may cause trees to be planted and may recover the cost of plantation from such person as an arrear of land revenue.

9. (1) The State Government may by notification, specify the authorities who shall be the Appellate Authorities for the purposes of this Act.

Appeal.

(2) When any decision is given or order is made under Section 6 and 7 by the Tree Officer, any person aggrieved by that order of Tree Officer, may appeal to the Appellate Authority within a period of thirty days of passing such order or direction by the Tree Officer.

(3) The Appellate Authority shall decide the appeal within sixty days from the date of its receipt, after giving reasonable opportunity to the appellant of being heard.

10. Where the Tree Officer or any Forest Officer has reasons to believe that an offence under this Act has been committed in respect of any tree, he may seize the tree or part thereof which

Seizure of property.

has been severed from the ground or the trunk, as the case may be, alongwith the tools and implements used for felling. When the seizure is made by forest officer he will forward the case to the Tree Officer for further action.

Power to release property seized under section-10.

11. The tree officer may release the property seized under section 10, if the owner of the land executes a bond in such form as may be prescribed for its production whenever required.

Timber/Fuel wood, tools etc., when liable to confiscation.

12. (1) All timber or fuelwood which is not the property of the State Government and in respect of which an offence has been committed under this Act, and all animals, tools, boats, vehicles, ropes, chain or any other article used in committing such offence, shall subject to provisions of Sections 9, 11 and 17, be liable to confiscation upon conviction of the offender for such offence.

Such confiscation may be in addition to any other punishment prescribed for such offence.

(2) Any timber produced from the tree, tools and implements etc. and any boats, animals or other conveyance confiscated under sub-section (1) shall be disposed of by the court in such manner as may be prescribed.

Offence by organisations.

13. (1) If the person committing an offence under this Act is an organisation, the organisation as well as every person incharge of and responsible to the organisation for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by an organisation and it is proved that the offence has been committed, with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of its Head of Office/ Unit, Secretary, treasurer, director, manager or other officer of the Organisation, such Head of Office/Unit, Secretary, treasurer, director, manager or other officer of the organisation shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Power to prevent commission of offence.

14. Every Tree Officer or his subordinate or any Forest, Revenue or police officer shall prevent and may intervene for the purpose of preventing the commission of any offence under this Act.

Power to compound offence.

15. (1) The State Government may, by notification, authorise a Tree Officer or any Forest Officer not below the rank of a Divisional Forest Officer, to accept from any person against whom there is reason to believe that he has committed offence under this Act in respect of any tree, such sum of money as may be prescribed by way of composition for the offence which such person is suspected to have committed.

(2) On the payment of such sums or such value or both as the case may be, to such officer the property seized and the offender, if in custody, shall be released and no further proceeding shall be taken against such offender or property.

Contravention of Act to be reported by certain persons.

16. It shall be the duty of every forest officer, public servant or any person to give immediate information coming to his knowledge, if any contravention of Section-3 and of preparation to commit such contravention to the Tree Officer.

17. Any sum, the payment of which has been directed to be made by any person under this Act shall, without prejudice to any other mode of recovery under any law for the time being in force, be recoverable from him as arrear of land revenue.
18. Whoever fells any tree or causes any tree to be felled in contravention of any provision of this Act or Rules or order made thereunder shall, on conviction be punished with imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both. The fine, if not deposited within the prescribed time limit, will be recoverable as arrears of land revenue.
19. Every person exercising power or discharging any duties or functions under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of Section-21 of Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).
20. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person empowered to exercise power or to perform duties or discharge functions under this Act for anything done or purporting to be done or omitted to be done in good faith under this Act or the rules and orders made thereunder.
21. (1) The State Government may, in the interest of general public, declare by notification that any class of trees shall not be felled for such period as is specified in that notification.
- (2) The management of such trees shall be regulated in the prescribed manner.
22. The State Government may by notification invest the tree officers and other officer with all or any of the following powers, namely :—
- (a) Power to enter upon any land to survey, demarcate and make a map of the same,
- (b) Power to hold enquiries into offence under the Act and in the course of such enquiry to receive and record evidence.
23. The provisions of Sections 31 and 42 of Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927) shall *mutatis mutandis*, apply to the transit of the felled trees under this Act.
24. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.
- (2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Execution of order for payment of Money.

Penalty.

Persons under this Act to be Public Servants.

Protection of action taken in good faith.

Power of State Government for Preservation of Trees.

Investing Tree Officer with certain powers.

Transit of felled material.

Power to make rules.